निरीक्षण प्रतिवेदन

विषय :— मेसर्स वीनस माईनिंग एण्ड मिनरल्स रेत खदान के संबंध में।
संदर्भ :— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण **क 26/2020 (CZ)** **(I.A. No. 57/2020)** आदेश दिनांक 08.06.2020 के पालनार्थ।

निरीक्षण दिनांक :— **07.07.2020**

मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल आदेश क 442/132/2020/12/1 दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से रेत उत्खनन हेतु मेसर्स वीनस माइनिंग एण्ड मिनरल्स के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। छायाप्रति **संलग्नक–1** अनुसार है।

मेसर्स वीनस माईनिंग एण्ड मिनरल्स द्वारा स्टेट एनवायरनमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अथोरिटी (म.प्र.) भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) प्राप्त की गई हैं, छायाप्रति संलग्न है। **संलग्नक–2**, जिसमें रेत उत्खनन क्षमता 86400 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु ई.सी. प्रदत्त की गई हैं। तत्पश्चात म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्रदत्त की गई हैं जिसकी वैद्यता 02.02.2021 तक हैं। छायाप्रति संलग्न है, **संलग्नक–3** ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली में प्रस्तुत ओ.ए. कमांक 26/2020 एवं आई.ए. 57/2020 ओम प्रकाश वर्मा विरूद्व म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 08.06.2020 में रेत खदान कल्याणपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी में भारी मशीनों एवं पनडुब्बी से रेत खनन किये जाने के संबंध में गठित जॉच समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 07.07.2020 को स्थल निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी करैरा, खनिज अधिकारी शिवपुरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना द्वारा किया गया है। निरीक्षण दौरान स्थल पर भारी मशीनों एवं पनडुब्बी आदि का उपयोग कर रेत खनन होते नहीं पाया गया। निरीक्षण दौरान लिए गये छायाचित्र संलग्न है।

07/07/2020	9.7.2020	9.7.20
(व्ही.एस. राय)	(प्रमोद शर्मा)	(के.आर. चौकीकर)
क्षेत्रीय अधिकारी, गुना	खनिज अधिकारी शिवपुरी	अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम) करैरा जि. शिवपुरी